छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक – 347 **M-COM-2019-00616**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''देवकी विहार'', प्रमोटर–ऊर्जा प्रापर्टीज प्रा.लि. द्वारा–
श्री सुमीत मिश्रा, पता–वृन्दावन कॉलोनी, जगदलपुर, जिला–बस्तर (छ.ग)
प्रोजेक्ट–''देवकी विहार''

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
10/12/2021	– प्रकरण प्रस्तुत । – भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 धारा–5, अंतर्गत अनावेदक का प्रोजेक्ट ''देवकी विहार'' पंजीयन क्रमांक–**PCGRERA041018000791** के रूप में छत्तीसगढ़ रेरा में पंजीकृत किया गया है। छत्तीसगढ़ रेरा में पंजीकृत सभी प्रोजेक्ट्स को भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–11 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्रोजेक्ट की त्रैमासिक प्रगति रेरा के वेबपोर्टल पर अद्यतन करना अनिवार्य है। साथ ही अधिनियम की धारा–4 (2)(l)(D) के अनुसार सभी पंजीकृत प्रमोटर्स को अपने ऑनगोईंग प्रोजेक्ट्स की वार्षिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। उक्त संबंध में प्राधिकरण द्वारा अपने परिपत्र क्रमांक–17/रेरा/2018/562, दिनाँक 28.09.2018 एवं क्रमांक–22/रेरा/2018/676, दिनाँक 03.11.2018 तथा परिपत्र क्रमांक–25, दिनाँक 22.08.2019 व परिपत्र क्रमांक–30, दिनाँक 05.09.2019 के माध्यम से विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किये गये थे। जो प्राधिकरण की वेबसाईट पर सहज उपलब्ध हैं। प्राधिकरण द्वारा समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि अनावेदक द्वारा उपरोक्त उल्लेखित प्रावधानों व निर्देशों की अवहेलना करते हुए, उपरोक्त वर्णित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की त्रैमासिक प्रगति पोर्टल पर अद्यतन नहीं की गई है। अतः प्राधिकरण द्वारा अनावेदक के विरूद्ध दिनाँक 16.04.2019 को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। – अनावेदक ने प्रकरण की सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर त्रैमासिक अद्यतन व अन्य बाध्यतायें पूर्ण करने हेतु लगातार समय की मांग की है। अनावेदक के आग्रह पर प्राधिकरण ने अद्यतन पूर्ण करने हेतु अनावेदक को समुचित अवसर भी प्रदान किया है। – प्राधिकरण द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट से संबंधित समस्त दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया। अनावेदक द्वारा समस्त लंबित	

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	त्रैमासिक जानकारियों का अद्यतीकरण कर दिया गया है। अनावेदक ने प्राधिकरण द्वारा अधिरोपित शास्ति की राशि रूपये 6,000/– का भी भुगतान दिनाँक 18.11.2021 को करते हुये चालान की प्रति प्रस्तुत कर दी है। अनावेदक द्वारा त्रैमासिक अद्यतन पूर्ण लिये जाने उपरांत कोई कार्यवाही शेष नहीं है। अतः प्रकरण में कार्यवाही समाप्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। – आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे। – प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ दाखिल किया जावे। सही/– (राजीव कुमार टम्टा) **सदस्य** सही/– (विवेक ढाँड) **अध्यक्ष**	

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक – 347 **M-COM-2019-00616**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''देवकी विहार'', प्रमोटर–ऊर्जा प्रापर्टीज प्रा.लि. द्वारा–
श्री सुमीत मिश्रा, पता–वृन्दावन कॉलोनी, जगदलपुर, जिला–बस्तर (छ.ग)
प्रोजेक्ट–''देवकी विहार''

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक – 347 **M-COM-2019-00616**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''देवकी विहार'', प्रमोटर–ऊर्जा प्रापर्टीज प्रा.लि. द्वारा–
श्री सुमीत मिश्रा, पता–वृन्दावन कॉलोनी, जगदलपुर, जिला–बस्तर (छ.ग)
प्रोजेक्ट–''देवकी विहार''

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर